न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 128 / 2022	2022 / 282	16.11.2022	27.06.2023

1. महादेव पुत्र गोठाराम जाति माली निवासी मुण्डावरा तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नाराणपुर, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.09.2022 तहसीलदार नारायणपुर प्रकरण संख्या 22 / 2022

उपस्थितः—

01. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 27.09.2022 प्रकरण संख्या 22 / 2022 जिसके द्वारा संवत 2079 वाके ग्राम मुण्डावरा तहसील नारायणपुर की आराजी खसरा न0 676 रकबा 0.24 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 में दीवार बनाकर अतिक्रमण करने पर बेदखली कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट का नोटिस जारी किया गया एवं विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का मुण्डावरा द्वारा दिनांक 28.07.2022 को ग्राम मुण्डावरा के खसरा नं0 676 रकबा 0.24 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर महादेव पुत्र गोठाराम माली निवासी मुण्डावरा द्वारा दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिर्पोट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर में प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2022 को अप्रार्थी अपीलाण्ट को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.2022 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा एवं दिनांक 21.09.2022 को जवाब नोटिस पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा 27.09.2022 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए वर्णित आराजी से बेदखली आदेश पारित किए गए।

अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 676 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं रास्ता पूर्व से ही बदस्तूर मौके पर चालू है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी आराजी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

खसरा न0 677 में दीवार बना रखी है जिसके आगे से ढाणी ढण्ड से मानावारा व वाया कानपुरा, गुण्डावरा को आम रास्ता बदस्तूर जा रहा है तथा सामने सीसी सीमेंट रोड जा रहा है जहां पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। यह रास्ता कदीमी जारी है। इस रास्ते के सामने अपीलान्ट की आराजी में करीब 70 साल पुराने मकान बने हुए है तथा अपीलान्ट ने आज तक कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी की पैमाईश नहीं की गई जिससे यह साबित नहीं हो सकता की किस तरफ कितने रकबे पर अतिक्रमण है। ऐसी रिपोर्ट पर तहत न्यायालय को अतिक्रमण मानकर निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2022 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.10.2022 को आवेदन पेश किया गया जिसकी नकल 13.10.2022 को सांयकाल नकल प्राप्त हुई। इसके बाद अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। नकल लेने के दिन मुजरा लेते हुए अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का कारण नेक नियती पर आधारित होने से बिलम्ब का समय माफ किए जाने व मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनॉक 27.09.2022 को निरस्त फरमावे।

अपील के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का मुण्डवरा द्वारा दिनॉक 28.07.2022 को अतिक्रमण रिपोर्ट आराजी खसरा नं0 676 रकबा 0.24 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर महादेव पुत्र गोठाराम माली निवासी मुण्डावरा द्वारा बाड लगाकर अतिक्रमण करने की रिर्पोट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2022 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अदम तामील प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्राथी को पुनः दिनांक 23.08.2022 को नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट न्यायालय में नियत तारीख पेशी दिनॉक 09.09.2022 पर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.09.2022 को जवाब नोटिस पेश किया गया। जबाब में अंकित कियां गया कि उक्त वर्णित आराजी पर हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है। यह रास्ता हमारी दीवार के आगे से ढाणी ढण्ड से मानावास वाया मुण्डावरा व कानपुरा जा रहा है। यह रास्ते के सामने हमारी खातेदारी में 70 वर्ष पुराने मकान बने हुए हैं। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 10.04.2023 के द्वारा आराजी खसरा न0 676 रकबा 0.24 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें महादेव पुत्र गोठाराम द्वारा पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है।

न्यायालय द्वारा अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं चितंन मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण होना नहीं बताया गया। आराजी ख0नं0 677 स्वयं की खातेदारी में चारदीवारी बनाया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी गै0 मु0 रास्ता की मौके पर पैमाइश नहीं की गई है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनॉक 27.09.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील में वर्णित आराजी ख0 नं0 676 रकबा 0.24 है गे से 0.01 है0 की मौके पर पैमाईश की जाकर अगर अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार